



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220275
CG-DL-E-30062020-220275

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942

No. 321]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

सा.का.नि. 423(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 50गक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे और निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होंगे।
- आयकर नियम, 1962 में, नियम 11पकग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 50गक के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का विहित वर्ग

11पकघ. अधिनियम की धारा 50गक के उपबंध किसी कंपनी और उसकी समनुषंगी तथा किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे समनुषंगी की समनुषंगी की किसी जंगम सम्पत्ति जो कोट न किए गये शेयर है, के अंतरण के लिए लागू नहीं होंगे, जहां –

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आवेदन पर अधिकरण ने ऐसे कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नए निदेशक नियुक्त कर दिया है; और

- (ii) ऐसी कंपनी और उसकी समनुषंगी के शेयर तथा ऐसे समनुषंगी की समनुषंगी अधिकारिता का प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के अधीन अधिकरण द्वारा अनुमोदित एक संकल्प योजना के अनुसरण में अंतरित की गई है।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, --

- (क) कोई कंपनी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, उस कंपनी के साधारण अंश पूंजी के आधे से अधिक अभिहित मूल्य धारित करती है;
- (ख) “अधिकरण” का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (90) में है।

[अधिसूचना सं. 42/2020/फा. सं. 370149/143/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 421(अ), तारीख 29 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2020

G.S.R. 423(E).—In exercise of the powers conferred by section 50CA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (15th Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2020 and shall be applicable for assessment year 2020-21 and subsequent assessment years.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after the rule 11UAC, the following rule shall be inserted, namely:—

Prescribed class of persons for the purpose of section 50CA.

11UAD. The provisions of section 50CA of the Act shall not apply to transfer of any movable property, being unquoted shares, of a company and its subsidiary and the subsidiary of such subsidiary by an assessee, where,—

(i) the Tribunal, on an application moved by the Central Government under section 241 of the Companies Act, 2013, has suspended the Board of Directors of such company and has appointed new directors nominated by the Central Government under section 242 of the said Act; and

(ii) share of such company and its subsidiary and the subsidiary of such subsidiary has been transferred pursuant to a resolution plan approved by the Tribunal under section 242 of the Companies Act, 2013 after affording a reasonable opportunity of being heard to the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule,—

- (a) a company shall be a subsidiary of another company, if such other company holds more than half in nominal value of the equity share capital of the company;

(b) "Tribunal" shall have the same meaning assigned to it in clause (90) of section 2 of the Companies Act, 2013.

[Notification No.42 /2020/F. No.370149/143/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Explanatory Memorandum : It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R 421(E) dated 29th June, 2020.